हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2015 को अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूवाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

20.03/2015/1100/यूके/जेटी/1

प्रश्न संख्या-1632

अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया ।

20.03/2015/1100/यूके/जेटी/2

प्रश्न संख्या 1633

अध्यक्षः श्री बलबीर सिंह वर्मा । (अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या-1634

अध्यक्षः श्री गोविन्द सिंह ठाकुर । (अनुपस्थित)

20.03/2015/1100/यूके/जेटी/3

प्रश्न संख्या- 1635

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, "ख" भाग में जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसमें कहा गया है कि आंगनवाड़ी भवन बनाने के लिए नाचन विधान सभा क्षेत्र में ऐसे 10 केन्द्र हैं जिनके पास अपने नाम से भूमि है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो 10 आंगनवाड़ी केन्द्र जिनके पास अपने नाम से भूमि है उनका कार्य कब तक शुरु किया जायेगा और दूसरा कितने ऐसे आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जो आज भी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हैल्पर के घरों में चलते हैं । मंत्री जी बताएंगे ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा है कि 10 आंगनवाड़ी केन्द्रों को धन उपलब्ध करवा दिया गया है, उसके बावजूद भी वो आंगनवाड़ी केन्द्र बने नहीं है । माननीय सदस्य की चिन्ता से मैं सहमत हूं । मैं इस माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि राशि उपलब्ध है । इस भवन को बनाने के लिए जो आपके 10 भवन आए हैं, मैने इसमें पढ़ा है, आपके क्षेत्र में जंजैहर करके आंगनवाड़ी केन्द्र का पैसा भी चला गया है । वह शीघ्र ही बन जायेगा । बाकी सब क्योंकि 68 विधान सभा क्षेत्र हैं, पूरा जो टारगेट है for 68 Assembly Constituencies, it is 160. तो एक या दो भवन मैं समझता हूं हर चुनाव क्षेत्र में बन

जाएं, यह विभाग की मंशा है । दूसरे जो आपने बात की है, उनके लिए भी धन शीघ्र ही आबंटित कर दिया जायेगा ।

20.03/2015/1100/यूके/जेटी/4

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष जी, मैने कहा था कि ऐसे कितने आंगनवाड़ी केन्द्र हैं जो आज भी आंगनवाड़ी वर्कर के घर में या आंगनवाड़ी हैल्पर के घर में चल रहे हैं, उनकी सूचना क्या माननीय मंत्री जी देंगे ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रीः आपके क्षेत्र के आंगनवाड़ी केन्द्र की पूरी सूचना दे दी जा चुकी है । आपके क्षेत्र में पूरे 315 आंगनवाड़ी केन्द्र बनने हैं। लेकिन इनमें से जो आपके अलग-अलग जैसे महिला मंडल, पंचायत भवन या कम्युनिटी सैंटर या प्राईमरी स्कूलों के बीच में जो चल रहे हैं, उसकी ऐग्जैक्ट संख्या आपको लिख कर दे दी जाएगी और बता दिया जाएगा कितने हैं । यहां पर भी रफली आपको दे दी गयी है ।

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

20.03.2015/1105/sls-jt-1

प्रश्न संख्या : 1635 ...जारी

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री...जारी

अग्जैक्ट संख्या आपको बता दी जाएगी। मैं समझता हूं कि इस वक्त हमारे लगभग 18000 से भी ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। इनमें 800 के करीब के लिए हमारे अपने भवन हैं परंतु बाकी सबको किराये के भवनों में या प्राइमरी स्कूलों में या पंचायत भवनों में चलाया जा रहा है। प्रयास किया जा रहा है कि हम ज्यादा-से-ज्यादा भूमि उपलब्ध करवाएं, क्योंकि धन की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। शीघ्र ही ठीक से ज़मीन लेकर अपने सरकारी भवन बनाएं, ऐसी विभाग की मंशा है।

समाप्त

20.03.2015/1105/sls-jt-2

प्रश्न संख्या : 1634

Speaker: Now, previous Q. No.1634. Authorization given to Shri Bikram Singh.

श्री बिक्रम सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो सूचना आई है, इसमें लिखा गया है कि एनक्रोचमैंट के कारण इन गतिविधियों को बंद किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि वहां पर जो गतिविधियां चलती थी, ये गतिविधियां चलाने वाले जो वहां के बेरोज़गार युवक थे, क्या उनका पंजीकरण पर्यटन विभाग के पास हुआ है? पर्यटन विभाग ने जो शर्तें वहां पर गतिविधियां चलाने के लिए रखी थीं, क्या वह उन लोगों ने पूरी की हैं? यह जो सारे-के-सारे बेरोज़गार वहां काम कर रहे थे, जिनको वहां रोज़गार मिला था, क्या वह सभी एनक्रोचर्ज़ हैं और क्या वह सारा क्षेत्र वन विभाग का था जहां पर यह गतिविधियां चलती थीं?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने पूछा है, वन विभाग मनाली में स्थानीय युवकों द्वारा जो ये गतिविधियां चलाई जा रही थीं, वह बिना परमीशन के चलाई जा रही थीं। वन विभाग का जो वन विहार है, उसमें वह बिना परमीशन के यह गतिविधियां चला रहे थे। वहां किसी जगह पर मिसहैपनिंग हुई, उस बात को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधीश कुल्लू ने वाईल्ड लाईफ डी.एफ.ओ. को ये आदेश किए कि जो ये गतिविधियां चल रही हैं इनसे नुकसान हो रहा है, इन्हें बंद कर दिया जाए। इनके लिए कोई परमीशन नहीं थी, इसलिए वह बंद की गई हैं। पंजीकरण संबंधी सूचना पर्यटन विभाग ही दे सकता है, वन विभाग ने केवल डी.सी. के आदेशों के अनुसार पालन किया है जिसके लिए हम बाध्य हैं। This is the position.

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है उसमें कहा गया है कि 11.06.2014 तक यह गतिविधियां चलती रहीं और

20.03.2015/1105/sls-jt-3

यह कार्रवाई भी एस.डी.एम. महोदय के हस्तक्षेप से हुई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री होदय से जानना चाहूंगा कि ये गतिविधियां कितने वर्षों से चल रही थीं और आपका वाईल्ड लाईफ विभाग उन गतिविधियों को उस समय क्यों नहीं हटा सका जब ये शुरू हुई थीं। अब इतने वर्षों के बाद अगर इनको हटाना है तो क्या मंत्री
महोदय इनके लिए कोई व्यवस्था करेंगे क्योंकि इतने वर्षों से ये लोग वहां रोज़गार कमा रहे थे? ये सब बेरोज़गार लोग हैं; महिलाएं हैं, पुरुष हैं, क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर इनको रिहैबलीटेट करने का प्रयास करेंगे?

वन मंत्री : वैसे तो यह जवाब पर्यटन विभाग का है। जहां तक वन विहार की बात है, वहां पर ये लोग जो गतिविधियां कर रहे थे और जो नुकसान हुआ था उस बात को मद्देनज़र रखते हुए, नुकसान को ध्यान में रखते हुए जिलाधीश महोदय ने ये गतिविधियां बंद की। क्योंकि पहले तो किसी को इसका पता ही नहीं था, न ही किसी ने सूचना दी थी कि यह गतिविधियां चल रही हैं।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। वन विहार में ही आपका वाईल्ड लाईफ अधिकारी बैठता है। क्या इतने वर्षों मे उसने नहीं देखा कि क्या हो रहा है?

जारी ...गर्ग जी

20/03/2015/1110/RG/AG/1

प्रश्न सं. 1634-------क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह----------क्रमागत
तो इतने वर्षों में उसने देखा नहीं कि क्या हो रहा है? क्या अतिक्रमण अभी हुआ है? इसलिए पुराने मामले होने के फलस्वरूप क्या इनको कहीं रिहैबिलिटेट करने का मामला आप उठाएंगे? गल्ती तो आपकी है, आपने उनको वहां क्यों बसने दिया?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई गलती करता है और फिर भी वह बोलता है कि हमने गलती की है। जैसे कुछ लोगों ने सारे प्रदेश में अतिक्रमण किया हुआ है, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के मुताबिक उनको उठाने जा रहे हैं। उसी तर्ज पर इनको भी जिलाधीश महोदय के आदेशानुसार इन गतिविधियों को बन्द किया गया था। तो वहां नुकसान हुआ था और इसीलिए यह हुआ।

श्री महेश्वर सिंह : क्या इनका पंजीकरण हुआ है?

वन मंत्री : अगर इनका पंजीकरण होता, तो यह समस्या क्यों खड़ी होती।

प्रश्न समाप्त

-/2

20/03/2015/1110/RG/AG/2

प्रश्न सं. 1633

Speaker : Hon'ble Member, Shri Balbir Singh Verma has come. मैं उनसे कहूंगा कि वह अपना पिछला प्रश्न सं. 1633 जो स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्तियों से संबंधित है, वह करें।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र बहुत ही इन्टीरियर है। वहां के जो स्थानीय निवासी और स्कूल के बच्चे हैं उनको स्वास्थ्य की प्रॉपर सुविधा नहीं मिल रही है। मेरे चुनाव क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग के 116 पद रिक्त हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह विनती करता हूं कि वहां कुछ-न-कुछ अवश्य करें। जैसे कुपवी क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी मेरे चुनाव क्षेत्र से कुछ लोग यहां आई.जी.एम.सी. में स्वाईन फ्ल्यू से मरे हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वहां पर जल्दी-से-जल्दी चिकित्सों के पदों को भरेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये जो 116 पद इन्होंने बताए हैं, ये paramedics के पद खाली हैं। जहां तक चिकित्सकों का संबंध है, पांच चिकित्सक सरप्लस हैं और इनके पांच पद रिक्त हैं। मैंने विभाग को कहा है कि

इनका रैशनलाईजेशन करें, जैसा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नेरवा में सरप्लस चिकित्सक हैं, 6 पद हैं और 7 चिकित्सक लगे हुए हैं। ऐसे ही जहां चिकित्सक सरप्लस हैं और जहां खाली पद हैं, वहां चिकित्सकों के पदों को भर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो paramedics के पद खाली हैं, इस बारे में भी आगे एक प्रश्न आया है कि पूरे प्रदेश में इसके काफी पद रिक्त हैं। इनके लिए हम कैबिनेट से पद भरने की अनुमति लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह विनती करना चाहता हूं कि अभी हाल ही में आई.जी.एम.सी. में चौपाल से स्वाईन फ्ल्यू से एक महिला की मृत्यु हुई है। वह महिला कुपवी क्षेत्र से थी। यदि उस क्षेत्र में शिमला से कोई टीम जाए और देखे कि वहां कोई अन्य व्यक्ति तो इस बीमारी से पीड़ित नहीं है, तो अच्छा होगा। इस प्रकार वहां पूरी जांच हो, तो क्या इसके लिए कुपवी अस्पताल में माननीय मंत्री जी कोई टीम भेजेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वाईन फ्ल्यू का प्रश्न है, यह समस्या कोई टीम भेजकर हल होने वाली नहीं है। यदि कोई पर्टिकुलर इलाका या पंचायत में इससे ऑउटब्रेक हो, तब तो इसके लिए टीम

भेजी जा सकती है। लेकिन स्वाईन फ्ल्यू के लिए सैंपल भी सिर्फ आई.जी.एम.सी. या टांडा अस्पताल में लिया जाता है और जब मरीज यहां आएगा तभी उसका सैंपल लिया जाएगा। उसका टैस्ट होता है और चार घण्टे के पश्चात रिजल्ट आता है। उसका टैस्ट पॉजिटिव है या निगेटिव, उसके मुताबिक उस मरीज का इलाज किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इनको कहा है कि कुपवी में दो पद चिकित्सक के भरे हैं और दो रिक्त हैं, कुपवी को अभी हमने पी.एच.सी. से सी.एच.सी. बनाया है, माननीय सदस्य को यह पता ही है। इसलिए उसमें दो पद बढ़े हैं, तो इन दो बढ़े हुए पदों के लिए जैसे ही चिकित्सक उपलब्ध होंगे, निश्चित तौर पर चौपाल इनका बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसका ध्यान रखा जाएगा।

प्रश्न समाप्त

एम.एस. द्वारा अगला प्रश्न शुरू

20/03/2015/1115/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 1636

श्री राम कुमारः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसके मुताबिक खाली पदों को अगस्त/सितम्बर,2015 में जब पटवारियों का प्रशिक्षण समाप्त होगा और उसके बाद इनकी विभागीय परीक्षा होगी, उसके उपरान्त पटवारियों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। मैं समझता हूं कि इसमें काफी समय लगेगा। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जिन पटवारियों के आदेश लम्बित हैं, उनके बारे में शीध्र उपायुक्त महोदय सोलन को आदेश देने की कृपा करें कि उनकी पालना की जाए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य लकी हैं क्योंकि पूरे प्रदेश में तो पटवारियों के बहुत से पद खाली हैं। सोलन जिले में जो पटवारी लगे हैं वे सभी बद्दी या बरोटीवाला ही जाना चाहते हैं और अर्की चुनाव क्षेत्र में नहीं रहना चाहते। हम रैशनेलाइजेशन कर रहे हैं। जो चार पटवारियों के आदेश हुए हैं उनके पास दो-दो पटवार सर्कल हैं। अगर उनको हम अभी रिलीव कर देंगे तो वे पटवार सर्कल खाली हो जाएंगे। दूसरे, सिर्फ 17 पद ही पटवारियों के आपके बद्दी तहसील में सृजित हैं और केवल छः पद खाली हैं। इसी तरह से कुठाड़(कृष्णगढ़) में 11 पद सृजित हैं और सिर्फ चार पद खाली हैं। जबकि पूरे हिमाचल प्रदेश में 465 पद इस वक्त खाली पड़े हैं। जैसे ही हमारे पास पटवारी या मैं कोशिश करूंगा कि यदि उनके पास एक-एक ही पटवार सर्कल है तो एडज्वाइनिंग पटवारी को उसका चार्ज दे दिया जाएगा और उनको रिलीव कर दिया जाएगा परन्तु अगर उनके पास दो-दो पटवार सर्कल हैं तो एक ही एडज्वाइनिंग पटवारी को चार पटवार सर्कल सम्भालना मुश्किल हो जाएगा। इस कठिनाई के कारण उनको अभी रिलीव नहीं किया गया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप कुछ और पूछना चाहते हैं?

20/03/2015/1115/MS/AG/2

श्री राम कुमारः जी सर। जैसे मेरी बरोटीवाला, मंधाला और कालूझण्डा आदि तीन-चार पंचायतें हैं, वहां दो पटवार सर्कल हैं तथा दोनों ही खाली हैं। अभी जो चार पटवारियों के स्थानान्तरण आदेश हुए हैं, उनमें से अगर आप दो को इम्प्लीमैंट करवा दें तो आपकी कृपा होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होंने कहा, अगर इनके दो पटवार सर्कल इकट्ठे खाली हैं तो उस पर निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी और अगर जरूरी हुआ तो उनको रिलीव करने का प्रबंध करेगी।

प्रश्न समाप्त/

20/03/2015/1115/MS/AG/3

प्रश्न संख्याः 1637

अध्यक्षः डॉ0 राजीव बिन्दल। अनुपस्थित।

20/03/2015/1115/MS/AG/4

प्रश्न संख्याः 1638

श्रीमती आशा कुमारीः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है इसमें इन्होंने बताया है कि सभी कैटेगरीज के 17,311 पद हैं जिनमें से 3721 खाली हैं। सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहती हूं कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्टें खाली हैं? दूसरे, आपने बताया कि पिछले दो साल में 595 डॉक्टर्ज लगाए गए हैं। मगर मेरा कहना यह है कि अभी भी ऐसे संस्थान हैं जहां एक भी डॉक्टर नहीं हैं। तो ऐसे संस्थान जैसाकि मैंने पहले भी चर्चा की है कि बाथरी और सुंडला के अलावा भी PHCs और CHCs हैं और CHCs में एक भी डॉक्टर न हो तो लोगों को परेशानी होती है क्योंकि इम्पोर्टेंट CHCs हैं। इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर काफी पद स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े हैं और इन पदों का खाली रहना यह भी दर्शाता है कि पिछली सरकार ने जो भी प्राइमरी हैल्थ सेंटर्ज खोले या अपग्रेड किए, उसमें था कि इंटरनलाजेश्न के माध्यम से ये पद भरे जाएं। इसलिए बहुत सारे पद खाली हुए हैं और ज्यादातर पद पैरा-मेडिकल स्टाफ के, (व्यवधान)

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः जो आपने किया वह बताइए?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः हमने तो बहुत कुछ किया है और वही बताने जा रहा हूं। प्रो0 साहब थोड़ा धीरज रखिए। उन संस्थानों के नाम भी मेरे पास है जो आपने खोले और उसमें इंटरनलाइजेश्न के माध्यम से पद भरने की बात कही गई थी। अध्यक्ष जी, इस वक्त जैसे मैंने कहा कि 595 डॉक्टर्ज,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

20.03.2015/1120/जेके/जेटी/1

प्रश्न संख्याः- ---1638—जारी

स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रीः----जारी---

अध्यक्ष महोदय, इस वक्त जैसे मैंने कहा कि 595 डॉक्टर्ज सरकार ने 1.1.2013 से 28.2.2015 तक लगाए हैं। इस समय हिमाचल प्रदेश में टोटल हॉस्पिटल्ज़ 64 है, स्पैशेलाईज्ड हॉस्पिटल्ज़ पांच है, सी.एच.सीज. 78 हैं, पी.एच.सीज. 500 है, ई.एस.आई. डिस्पेंसरीज़ 11 है, हैल्थ स्वास्थ्य केन्द्र 2065 है। इसी तरह से जो डॉक्टर्ज हमने लगाए थे उनमें से कुछ डॉक्टर्ज पी.जी. करने भी चले गए और इस वज़ह से पद खाली हुए हैं। निश्चित तौर पर सिरमौर और चम्बा जिला में डॉक्टर्ज की कमी है। ट्राईबल एरिया में डॉक्टर का कोई भी पद खाली नहीं है। क्योंकि हमने उनको नोटिफाई किया है कि दो साल एम.बी.बी.एस. का डॉक्टर यदि वहां पर जाता है फिर वह दो साल के बाद पी.जी. के लिए अलिजिबल हो जाता है। अब हिमाचल प्रदेश में ट्राईबल एरियाज़ में कुछ ऐसे स्टेशन है जो कि बहुत ही कठिन क्षेत्र है। इस तरह का एरिया सिरमौर में भी है, चम्बा में भी है। उन स्टेशनों को

भी नोटिफाई कर रहे हैं ताकि दो साल में वे पी.जी. कर लें तब वहां पर डॉक्टर्ज जाएंगे। ऐसा सिरमौर के गिरिपार का एरिया है, चम्बा का एरिया है, तीसा का एरिया है और सलुणी क्षेत्र का एरिया है, उनमें हम उन स्टेशनों को चिन्हित् कर रहे हैं जो बहुत ही इंटीरियर में हैं जहां पर डॉक्टर्ज जाने से परहेज़ करते हैं ताकि दो साल में एम.बी.बी.एस. डॉक्टर पी.जी. के लिए अलिजिबल हो जाए और तब डॉक्टर्ज उन क्षेत्रों में जाएंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बंगाणा के अन्दर सी.एच.सी. है और वहां पर पूर्व सरकार के समय एमर्जैंसी सर्विसिज़ 24X7 मिलती थी लेकिन आज वहां पर मात्र एक डॉक्टर है। जहां साथ लगता पी.एच.सी. थानाकलां हैं वह पोस्ट खाली पड़ी है।

20.03.2015/1120/जेके/जेटी/2

इसके साथ लठियानी में पी.एच.सी. है वहां पर एलोपैथिक डॉक्टर बदल कर आयुर्वेदिक डॉक्टर लगा दिया, जबकि आयुर्वेदिक डॉक्टर वहां पर पहले से ही है। इसके अलावा एक नई पी.एच.सी. रायपुर मैदान में खोली है लेकिन वहां पर भी डॉक्टर नहीं है। पिछले दिनों हमारे क्षेत्र में आंत्रशोथ के मामले सामने आए और साथ में लठियानी में स्वाईन फ्लू के केस का भी इस वर्ष आया है। पिछले वर्ष थानाकलां में स्वाईन फ्लू का केस दर्ज़ हुआ था। जैसे कि कल से नवरात्रे लग रहे हैं और वहां पर बाबा बालक नाथ मंदिर के श्रद्धालु काफी मात्रा में जाते हैं और बढ़ी ट्रैफिक के कारण वहां पर काफी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। वहां पर कोई भी फर्स्ट एड देने के लिए अब एक भी डॉक्टर नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूं कि क्या आप आश्वासन देंगे कि सी.एच.सी. बंगाणा में, जहां पहले तीन डॉक्टर्ज़ थे ,क्या अब भी आप वहां पर तीन डॉक्टर्ज भेजेंगे? क्या थानाकलां में पी.एच.सी लैवल की पोस्टें क्रिएट करेंगे? जितनी भी खाली पोस्टें हैं क्या माननीय मंत्री जी उनको तुरन्त भरने का आदेश देंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि बंगाणा एक सब-डिविजनल हैड क्वार्टर है। वहां पर एस.डी.एम. बैठते हैं। वहां पर सी.एच.सी. बनाया गया है। थानाकलां में पुराना पी.एच.सी. हैं जहां पर बी.एम.ओ. बैठता है।

वहां पर हमने एक महिला डॉक्टर लगाई थी लेकिन उसने अपनी एडजैस्टमैंट ऊना में ही किसी दूसरे स्थान में कर दी है। इस वक्त हमारे पास 317 डॉक्टर्ज के पद खाली पड़े हैं। मैं जानता हूं कि जहां पर वर्कलोड ज्यादा है वहां पर डॉक्टर्ज की संख्या बढ़नी चाहिए। निश्चित तौर पर बंगाणा में जैसे कि अब हर मंगलवार को डॉक्टर्ज की भर्ती होती है, जैसे ही डॉक्टर आएगा बंगाणा में एक डॉक्टर लगा दिया जाएगा। एक डॉक्टर थानाकलां में भी लगाया जाएगा। जो थानाकलां का बी.एम.ओ. है, उसको बंगाणा में लाएंगे क्योंकि बंगाणा आपके चुनाव क्षेत्र का एक मध्य स्थान है, सी.एच.सी. वहां पर बनी है। प्रशासनिक तौर पर विभाग यदि ऐसा समझता है तो हम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, हम कोशिश करेंगे। इस वक्त 317 डॉक्टर्ज की पोस्टें खाली हैं, स्टाफ

20.03.2015/1120/जेके/जेटी/3

नर्सिज की 396 पोस्टें खाली हैं, 192 पोस्टें फार्मासिस्ट की खाली हैं और सीनियर लैब टैक्निशियन की 258 पोस्टें खाली हैं।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

20.03.2015/1125/SS-JT/1

प्रश्न संख्याः 1638 क्रमागत

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री क्रमागतः

इस तरह से ड्राईवर की 115 पोस्टें खाली हैं। क्लास-IV की 471 पोस्टें खाली हैं। मेल हैल्थ वर्कर्ज़ की 232 पोस्टें खाली हैं। पिछली सरकार ने मेल हैल्थ वर्कर को डाइंग काडर कर दिया था। लेकिन अब हमने पिछली कैबिनेट मीटिंग में वह डिसीजन रिवाइव करके 112 पोस्टें मेल हैल्थ वर्कर भरने का मामला सबोर्डिनेट सर्विसिज़ सिलैक्शन बोर्ड को भेज दिया है। इस तरह से 217 पोस्टें फीमेल हैल्थ वर्कर्ज़ की खाली हैं। इस तरह से जो खाली पद हैं, काफी पद हमने सृजित किये हैं। पीछे भी

स्टाफ नर्सिज़ की काफी भर्ती की है। फीमेल हैल्थ वर्कर की भर्ती की है। लेकिन अब भी हम कोशिश करेंगे कि जो स्वास्थ्य संस्थाएं खुली हैं उनमें मैडिक्स एंड पैरा-मैडिक्स के पद भरे जाएं। इसके लिए कैबिनेट में मामला ले जायेंगे।

श्री वीरेन्द्र कंवरः माननीय अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से आश्वासन चाह रहा हूं। आपने पोस्टें भरने की तो बात कही। लेकिन पोस्टें क्रियेट भी होनी हैं। मैं उसका भी आश्वासन आपसे चाह रहा हूं। ये बी0एम0ओ0 ऑफिस को बदलने की बात कर रहे हैं जबकि ये तो वहां पर 1975 से चल रहे हैं। मैं उसका विरोध करूंगा। लेकिन जो वहां पर डॉक्टर्ज़ की पोस्टों की आवश्यकता है जब तक आप उनको क्रियेट नहीं करते हैं या उनको भरा नहीं जाता है तब तक काम सुचारू रूप से नहीं चलेगा। मैं आपसे एक आश्वासन चाहता हूं। अब जब नवरात्रें शुरू हो रहे हैं तो ऊना में स्टाफ सरप्लस चल रहा है। तीन एम0डी0 हैं और तीन अतिरिक्त डॉक्टर वहां पर चल रहे हैं। उनकी वहां पर डैपुटेशन करो। बंगाणा के अंदर 24X7 स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। थानाकलां के अंदर रोज़ डॉक्टर उपलब्ध रहे। मैं आपसे यह आश्वासन चाहूंगा कि जब तक परमानेंट अरेंजमैंट नहीं होता तब तक इनको ऊना से भेजें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि बंगाणा में पी0एच0सी0 था। उसको सी0एच0सी0 अपग्रेड कर दिया है। पी0एच0सी0 में दो डॉक्टर होते हैं। सी0एच0सी0 में चार डॉक्टर होते हैं। एक डैंटल सर्जन भी होता है। नोटिफाई तो सी0एच0सी0 कर दिया है लेकिन पोस्टें कोई सैंक्शन नहीं हुई हैं। अब हम कदम लेंगे कि उसमें सी0एच0सी0 का जो पूरा स्टाफ है वह स्टाफ भी हम

20.03.2015/1125/SS-JT/2

आपको उपलब्ध करवायेंगे। अगर ऊना में सरप्लस डॉक्टर होंगे तो उनको शीघ्रातिशीघ्र आपके ही क्षेत्र ज़िला ऊना में लगा दिया जायेगा।

Speaker: Last supplementary, Shri Ravinder Singh.

श्री रविन्द्र सिंहः माननीय अध्यक्ष जी, काफी विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी ने उपलब्ध करवाई है। अभी तक इन्होंने डॉक्टरों के 317 पद रिक्त बताए हैं। जैसे हमारे माननीय सदस्य भी कह रहे थे कि कई जगह पर जितनी पोस्टें सैंक्शंड हैं उससे ऑवर एंड अबव डॉक्टर्ज़ व अन्य स्टाफ बैठा हुआ है। क्या आप सुनिश्चित करेंगे कि

किसी भी संस्थान में जहां पर ऑवर एंड अबव स्टाफ बैठा है, चाहे वे डॉक्टर्ज़ हैं या अन्य पैरा-मेडिकल स्टाफ है, उसको जहां पर कई वर्षों से रिक्त पद हैं वहां पर लगाया जाये? साथ में, अध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार के द्वारा तीन मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। आपके पास अभी तक डॉक्टर्ज़ की कमी चली हुई है। आपके पास एम0बी0बी0एस0 करवाने की सीटें सीमित हैं तो आपको आज से यह भी नीति बनानी पड़ेगी कि उन तीन मेडिकल कॉलेजिज़ (चम्बा, हमीरपुर और नाहन) में आने वाले समय में आपकी स्थिति क्या होगी। उसके लिए आपने क्या पॉलिसी बनाई है?

तीसरा, मेरा आपसे अनुरोध है कि पीछे भी हमने आपसे देहरा सिविल हॉस्पिटल के बारे में बात की थी। लेकिन वहां पर अभी भी डैपुटेशन पर डॉक्टर भेजे जा रहे हैं। देहरा सिविल हॉस्पिटल एक ऐसे केन्द्र में स्थित है, मैं बार-बार कहता हूं कि एक डॉक्टर को पोस्ट-मार्टम के काम में रहना पड़ता है चाहे ज्वालामुखी में एक्सीडैंट हो या भरवाईं के नज़दीक कहीं भी हो। वहां पर 9 पद सृजित हैं। इस समय 4 पद रिक्त चले हुए हैं क्या आप उनको और जिन स्पैशलाइज्ड डॉक्टर्ज़ की वहां आवश्यकता है भरने की कृपा करेंगे?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः यह बात ठीक है कि जब तक रेगुलर कोई अरेंजमैंट नहीं हो जाता तब तक हम डिप्यूट करके ही वहां पर काम चलाने का प्रबंध करेंगे। जहां तक इन्होंने देहरा हॉस्पिटल की बात कही, देहरा में हमने स्पैशलिस्ट लगाने की कोशिश की है। लेकिन वे फिर अपना इंतजाम करवा लेते हैं और कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। इन्होंने तीन मेडिकल कॉलेजिज़ की बात कही है। मैं गुलाम नबी आज़ाद जी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने तीन मेडिकल कॉलेज

20.03.2015/1125/SS-JT/3

हिमाचल प्रदेश को दिए हैं और 189 करोड़ रुपया उसके लिए दिया। हमारा सिर्फ 10 परसैंट है। 90 परसैंट गवर्नमैंट ऑफ इंडिया का होगा।

जारी श्रीमती के0एस0

20.03.2015/1130/केएस/एजी/1

प्रश्न संख्या 1638 जारी----

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी---
उन कॉलेजों को चलाने का भी हम जल्दी से जल्दी प्रबन्ध करेंगें। उसमें हम जो तीन-तीन बिस्तरों के रीज़नल हॉस्पिटल्ज़ हैं, तब तक चालू करेंगें और फेज्ड मैनर में हम बिस्तरों की संख्या बढ़ाएंगें। 100-100 सीटें उसमें उपलब्ध करवा दी गई है इसलिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जो गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की टीम थी, जिसने की साइट सलैक्ट करनी थी, उसने नाहन और हमीरपुर की साइट भी सलैक्ट कर दी है और हमीरपुर में 27-28 एकड़ जमीन उपलब्ध है और इसी तरह चम्बा की साइट भी जो एनिमल हस्बैंडरी का भेड़ फार्म जो था, उसको उन्होंने सलैक्ट कर दिया है जो कि चम्बा से सिर्फ तीन-चार किलामीटर की दूरी पर है। हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी इन कॉलेजों की और होस्टल्ज़ की बिल्डिंग्ज़ बनाई जाए और इन कॉलेजों को चालू किया जाए।

प्रश्न समाप्त

20.03.2015/1130/केएस/एजी/2

प्रश्न संख्याः 1639

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है, उसको मैंने बार-बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। वर्तमान में प्रदेश में कुल सात बन्दर नसबन्दी केन्द्र चल रहे हैं। दो नए और बन्दर नसबन्दी केन्द्र खोलने की आपने बात कही अर्थात ये 9 हो जाएंगें। अभी तक कुल मिलाकर 94334 बन्दरों की नसबन्दी हुई है। आपने इस बात को स्वीकारा है कि प्रति बन्दर पकड़ने के 500 रु0 दिए जाते हैं। मैंने इसको 500 से गुणा किया तो खर्चा बैठता है 4,71,67,000 और आपने 3,22,25,399 रु0 दिए हैं। बार-बार मैंने गुणा किया, माईनस किया, देखा तो इसमें डिफरैंस 1,49,41,601 रु0 का बैठता है। तो फिर इन गरीबों को यह अतिरिक्त पैसा क्यों नहीं दिया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आनन-फानन में जो मन में आया विभाग ने लिखा और आपने पढ़ दिया? अगर मेरी गलती हुई है तो मुझे बता दीजिए। इसके अतिरिक्त क्या ये बन्दर लोगों ने स्वेच्छा से पकड़ कर दिए, यह मैं जानना चाहूंगा? बन्दर बाईट्स के केसिज़

बहुत आ रहे हैं । रीपन हॉस्पिटल में ही सैंकड़ों की संख्या में ऐसे केसिज़ आ रहे हैं। हर महीने यह संख्या बढ़ रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ये जो 336 लोग इस काम को कर रहे हैं, क्या बन्दरों ने इनको कभी नहीं काटा? इनके पास क्या मंत्र है? अगर इनको काटा तो उनको आपने कितनी कम्पनसेशन दी, क्या उनका कोई ईलाज करवाया? इसके अतिरिक्त रोज़ खबरें आ रही है कि बन्दरों के आतंक से लोग बहुत दुखी है और कई तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठे हैं। अधिकांश इसमें महिलाएं हैं।

20.03.2015/1130/केएस/एजी/3

कौन सा कारण है कि बन्दर ज्यादातर महिलाओं पर ही अटैक करते हैं, क्या आपने इसकी स्टडी करवाई है? इसके अलावा कितने ऐसे केसिज़ हैं जिनमें लोगों को बन्दरों के काटने से मृत्यु प्राप्त हुई? उनके नाम पते सहित अगर अभी सूचना आपके पास नहीं है तो क्या बाद में उपलब्ध करवाएंगें और उनको आपने क्या मुआवज़ा दिया? जो परमानेंटली अपंग हो गए हैं, वे कितने हैं तथा उनको विभाग ने कितने पैसे दिए?

अध्यक्षः माननीय सदस्य, संक्षेप में प्रश्न कीजिए।

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य ने बन्दरों के विषय में सवाल उठाया है, यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। जहां तक महेश्वर सिंह जी ने बताया कि बन्दर ज्यादातर महिलाओं को काटते हैं, ऐसा कोई इन्स्टांस सामने नहीं आया। पिछली बार इन्होंने एक कुल्लू या मण्डी के केस के बारे में जिक्र किया था और सरकार वानरों से बचाव के लिए---

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

20.3.2015/1135/ag/av/1

प्रश्न संख्या :1639 --------- क्रमागत

वन मंत्री जारी--------
वानरों से बचाव के लिए सरकार जो उपाय कर रही है मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। आपने जैसे अभी कहा कि जो वानरों को पकड़ते हैं वे जादूगर है, ऐक्सपर्ट है; क्या उनको वानरों द्वारा नहीं काटा जाता? इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आज तक ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अगर ऐसी कोई रिपोर्ट आती तो हम उसको सदन के सामने रखते और उससे आप सबको अवगत करवाते। जो 500 रुपये के हिसाब से पैसा दिया है वह दिनांक 18.10.2011 के बाद दिया है। वर्ष 2011 में केबिनैट ने यह फैसला लिया था कि प्रति बंदर 500 रुपये दिए जाएं जबकि बंदरों की नसबंदी की संख्या वर्ष 2006-07 के बाद की है। वर्ष 2006-07 में वानरों की कुल संख्या 3.50 लाख के करीब थी और नसबंदी, जैसे कि आपने बताया कि 94 हजार के करीब हुई है। अब सरकार इनके लिए जो उपाय करने जा रही है मैं आपको वह बताना चाहता हूं।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं है। जब 94 हजार बंदरों की नसबंदी हुई और उसको अगर 500 से मल्टिप्लाई करें तो जो आंकड़े मैंने आपको दिए; तो क्या इससे पहले लोग बंदरों को निःशुल्क पकड़ रहे थे?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि लोग निःशुल्क नहीं पकड़ रहे थे मगर जिनकी नसबंदी हो चुकी थी और लोग गलती से उनको पकड़कर ले आते थे तो फिर उनको पैसा नहीं मिलता था। अब उनको क्या पता कि इस पकड़े गये मेल या फिमेल बंदर की नसबंदी हुई है या नहीं। इसलिए उसका पैसा उनको नहीं मिलता था। मगर इसमें पकड़ने वाले की क्या गलती, इसलिए अब हम आगे के लिए यह प्रावधान कर रहे हैं कि अगर कोई नसबंदी वाले मेल या फिमेल बंदर को पकड़ कर लाता है तो उसको 300 रुपये दिये जायेंगे। वर्ष 2011 से पूर्व भी 200-300 रुपये दिए

जाते थे। बाद में केबिनैट में यह फैसला हुआ कि इनको 500 रुपये प्रति बंदर दिया जाये मगर जो गलती से पकड़कर ले आते थे उनको फिर उसका पैसा नहीं मिलता था। This is the problem.

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, इस विषय पर पहले भी तीन-चार बार प्रश्न लग चुका है और अलग से चर्चा भी हो चुकी है कि नसबंदी तो एक लाँग टाइम प्रोसीजर है। आप नसबंदी से बंदरों का मुंह बंद नहीं कर सकते। इसलिए आप बंदरों द्वारा किए जा रहे नुकसान को रोकने के उपाय के बारे में बतायें।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वानरों के उत्पात को कम करने के लिए उनकी संख्या

(---व्यवधान---)

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि बंदरों के काटने या अटैक करने से कितने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं? आप हमें उनकी संख्या बतायें क्योंकि आप देखेंगे कि इनमें अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। मुझे लगता है कि पुरुष का तो कोई ऐसा केस आया नहीं है। उनके पूरे नाम/पते सहित कि उनको कितना कम्पनसैशन दिया गया। साथ में, जो अपंग हुए हैं उनको राहत राशि के रूप में क्या दिया गया?

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक महोदय जो सूचना दे रहे हैं उस घटना के बारे में हमें बताएं, सरकार उस पर गौर करेगी। There is no problem. बाकी जो आपने सूचना मांगी है वह अभी मेरे पास नहीं है। वह आपको बाद में उपलब्ध करवा दी जायेगी।

श्री प्रेम कुमार धूमल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत ही गम्भीर समस्या के बारे में है। आपने पीठ से कहा भी है कि इस विषय पर पहले कई बार प्रश्न आया है और इस पर अलग से भी चर्चा हुई है। नसबंदी बंदरों की संख्या को कम करने का एक मैथड़ है मगर इसके दूरगामी परिणाम होंगे। पहली बात तो यह है कि क्या विभाग भारत सरकार से यह मामला उठा रहा है कि बंदरों के निर्यात पर जो पाबंदी लगी है

20.3.2015/1135/ag/av/3

उसको खत्म किया जाए? यदि हां, तो कब उठाया गया? दूसरा, वाइल्ड लाइफ के ऐक्सपर्ट्स का कहना है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा संख्या में हो जाती है तो culling is the only way-out.

श्री बी.जे.द्वारा जारी

20.3.2015/1140/negi/jt/1

प्रश्न संख्याः 1639. जारी..

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल .. जारी....

So, culling is the only way-out. साउथ अफ्रिका में हाथियों की संख्या बढ़ी तो इनको मारा गया। जो माननीय उच्च-न्यायालय हिमाचल प्रदेश में पेंडिंग केस पड़ा है, क्या उसको एक्पिडाइट करने के लिए, परमिशन लेने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है ? अगर उठाया है तो क्या कदम उठाया है ?

वन मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय धूमल साहब ने जो सप्लीमेन्टरी किया है, मैं कहना चाहूंगा कि दिनांक 11.12.2014 को माननीय उच्च-न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा भी इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए केन्द्र सरकार को शीघ्रातिशीघ्र निर्णय लेने हेतु निर्देश दिए गए हैं। इसपर केन्द्र सरकार का निर्णय अभी अपेक्षित है। विशेषकर बन्दरों एवं अन्य वन्य प्राणियों को उनके प्राकृतिक वास स्थल में ही खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु एक वृहत योजना Habitat Enrichment Plantation Model to provide natural food resources for rehabilitation of monkeys तैयार कर स्टेट कैम्पा के माध्यम से एडहॉक कैम्पा MoES&CC को अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाने हेतु भेजा गया है ताकि इस योजना को प्रदेश में क्रियान्वित किया जा सके। यह योजना MoES&CC भारत सरकार के विचाराधीन है । ...(व्यवधान).. मैं पूरा जवाब दे रहा हूं, एक मिनट आप बैठ जाओ। सुनिए आप।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे दो स्पैसिफिक बातें पूछी है। एक केस माननीय हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ा है, आपने कहा कि उन्होंने भारत सरकार को दे दिया है। कलिंग पर/ बन्दरों को मारने पर तो हिमाचल प्रदेश के माननीय हाईकोर्ट ने पाबन्दी लगाई है और उसका फैसला जो देना है वह तो माननीय उच्च-न्यायालय को देना है, इसमें भारत सरकार को क्या आदेश देना है? दूसरा, मैंने एक्सपोर्ट का

20.3.2015/1140/negi/jt/2

पूछा है कि आपने भारत सरकार के साथ कब टेक-अप किया कि इसको एक्सपोर्ट करने की इज़ाजत हो? ये दो स्पैसिफिक इशुज़ हैं।

वन मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में 17 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय में इसकी पेशी लगी थी और अब उन्होंने पेशी की नेक्स्ट डेट दी है। क्योंकि भारत सरकार को हमने जो केस भेजा है उसकी इन्तज़ार में अगली तारीख दी है। जैसे ही वहां से आदेश आएगा वह इसपर फरदर फैसला करेंगे। भारत सरकार से मामला निम्न प्रकार से उठाया गया हैः- Allow export, declare monkeys vermin so that culling can be done. Affidavit filed in the High Court.

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो प्रतिपक्ष के नेता ने प्रश्न पूछा उसका उत्तर भी सही नही आया। माननीय हाईकोर्ट ने तो सरकार का पक्ष जानना चाहा है। बन्दर को मारना नहीं है इस बारे में कुछ पशु प्रेमियों ने याचिका दायर की है उसमें हाईकोर्ट ने आपका पक्ष जानना चाहा है । आपने वह पक्ष क्या रखा? जहां तक आपने एक्सपोर्ट की बात की, वह अधिकार क्षेत्र केन्द्र सरकार का है और इस मामले को आपने किस रूप में केन्द्र सरकार से मामला उठाया है ? जो मेरा सैकिण्ड प्रश्न था उसमें मैं यह जानना चाहता था कि आपने नसबन्दी के बाद जो बन्दर छोड़ दिए वही ज्यादा खुंखार साबित हो रहे हैं और आपने उनकी संख्या केवल 94 हजार कुछ बतायी है। क्या सरकार ऐसा कोई प्रयत्न करेगी कि इन बन्दरों को पकड़ कर कहीं जंगल में केपटिविटी बना कर इनके भोजन और रहन-सहन की व्यवस्था करके इनको बन्द कर दिया जाए ताकि आज जो यह समस्या है लोगों को अटैक करने की यह तो कम से कम बन्द हो जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके बारे में सारा प्रदेश जागरूक भी है और चिन्तित भी है। बन्दरों की तादाद बढ़ गई है जिसकी वजह से जंगल के अन्दर जो उनको पहले खुराक मिलती थी, फल होते थे...

श्रीमती यू.के.द्वारा जारी...

20.03/2015/1145/यूके/जेटी/1

प्रश्न संख्या----1639 जारी----

मुख्य मंत्री --जारी ---

आबादी की ओर आ रहे हैं, इसकी वजह से फसलों को भी नुकसान हो रहा है और हमारे किसान चिंतित हैं । अब इसमें जहां तक सरकार की नीति हैं वह यह है कि बन्दरों को नसबन्दी के द्वारा उनकी तादाद को घटाया जाए । यह एक पहली बात है और इसमें कोई 90,000 से ऊपर बन्दरों को स्टरलाईज़ भी किया जा चुका है । मगर अभी तक यह प्वाइंट नहीं पहुंचा है जहां हम कह सकते हैं कि उनकी पैदा होने की तादाद घट गयी है । क्योंकि यह इफैक्टिव तब होगा जब उससे कहीं ज्यादा बन्दर स्टरलाईज़ होंगे । तब इसका असर नज़र आना शुरू होगा । अभी जैसा श्री महेश्वर सिंह जी ने कहा कि जो बन्दर स्टरलाईज़ होते हैं उनको कहीं अलग जगह जाकर छोड़ना चाहिए । यह सही नहीं होगा । आपको मालूम है कि बन्दर जाति हाइली आर्गेनाईज्ड जाति है, उनकी हाइली आर्गेनाईज्ड सोसायटी होती है । उनका एक ग्रुप होता है और उनके ग्रुप का एक लीडर होता है । उनका एक कबीला होता है जो लीडर के दिशा-निर्देशों के मुताबिक चलता है । अगर आप किसी बन्दर को पकड़ कर दूसरी जगह फैंकते हैं, जहां पर उसका कबीला नहीं है, then he will be isolated. और कबीला (Perish) पैरिश कर देगा, कबीला बिखर जायेगा। बन्दरों के कबीलों के ऊपर किताबें भी लिखी गयी हैं । So, it is a cruel thing. उनको पकड़ कर वापिस वहीं फैंकना चाहिए जिस जगह से उनको लाया गया हो । आजकल क्या हो रहा है कि जब बंदरों को वापिस जंगलों में फैंकते हैं इसका भी कॉंट्रैक्ट दिया जाता है । जो

20.03/2015/1145/यूके/जेटी/2

कॉंट्रैक्टर हैं वे बजाय इन बन्दरों को जहां से, जिस जगह से उठाया गया था वहां वापिस छोड़ें, दूर इलाके में छोड़ देते हैं। इसके ऊपर विभाग की नज़र रहनी चाहिए कि जिस जंगल से जिस जगह से बंदर को लाया गया है, स्टरलाईजेशन के बाद उसको उसी जगह पर छोड़ना चाहिए। यह बहुत जरूरी है।

दूसरी बात, जहां तक इसके ऐक्सपोर्ट की बात है। पहले ऐक्सपोर्ट होता था, अमेरिका या दूसरे मुल्कों को भी जहां पर उनके ऊपर बन्दर की जो एनॉटॉमी है, वह इन्सान से मिलती है, इसलिए वहां पर नयी दवाईयों, नए किस्म के ड्रग्स का प्रयोग उनके ऊपर होता था। मगर बाहर के मुल्कों में कहा गया कि भई, यदि पशुओं को इसके लिए इस्तेमाल किया जायेगा तो यह पशुओं के प्रति एक क्रूअलिटी है, उनके लिए। इस तरह से यही नहीं कि बाहर के ही मुल्कों में प्रतिबन्ध लगाया गया, बाहर के मुल्कों में और खासकर अमेरिका में जहां इनका आयात करते थे, वहां भी यह कम किया गया है, अब वे किसी और तरीकों से अपनी दवाईयों और अपने ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। मगर कई मुल्क हैं जहां पर ये भेजे जा सकते हैं। तो इसके लिए हम भारत सरकार से भी कहेंगे कि जो-जो देश हमारे बन्दरों को लेने के लिए तैयार हैं उनको वहां पर भेजने की इजाज़त दे दी जाए। ताकि उनकी तादाद में कुछ कमी हो। मगर जहां कानूनी दृष्टि की बात है, वहां बन्दर प्रोटैक्टिड ऐनीमल नहीं है। बन्दर को अपने हल्के के अन्दर, अपने खेत के अन्दर मारने का कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। मगर लोग धार्मिक भावनाओं की वजह से ऐसा नहीं करते हैं। Otherwise,

20.03/2015/1145/यूके/जेटी/3

there is no ban. ...(व्यवधान)... हाई कोर्ट ने लगाया होगा। But there is no law which prohibits it.

एस0एल0एस0 द्वारा जारी-----

20.03.2015/1150/sls-ag-1

प्रश्न संख्या : 1639 ...जारी

माननीय मुख्य मंत्री ...जारी

There is no law which prohibits it. अगर वह आपके खेतों-खलिहानों को नुकसान करते हैं then, legally you can kill. मगर हमारे लोग धार्मिक कारणों से नहीं मारते क्योंकि उनको हनुमान जी का रूप समझते हैं। High Court may have given order. I am not contesting that. What I am saying High Court order is one and legal section for that is separate thing. There is no law which prohibits it. (Interruption) I have gone through this matter. This is the ruling by the High Court कि बंदरों को न मारा जाए।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : उन्होंने अलाउ किया है as per law. इसलिए ही लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने स्टे किया है।

मुख्य मंत्री : जो यह लॉ है, यह सैंट्रल लॉ है। I don't know whether High Court can stay law passed by the Centre.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : हमने मंत्री महोदय से यही प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार ने अपना पक्ष रखा है, अपील की है? क्या सरकार ने स्टे को वैकेट करने के लिए कहा?

मुख्य मंत्री : यह मेरे वक्त में नहीं हुआ है, इसकी रूलिंग आपके वक्त में आई है। Prof. Prem Kumar Dhumal: Government is always in continuity. हमारे वक्त अगर ऑर्डर आ गया तो क्या आप उसको नहीं मानेंगे?

Chief Minister: I am not entering into politics.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : मुख्य मंत्री महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया है, उस स्टे की वैकेशन के लिए क्या सरकार कोर्ट में गई है, सवाल तो यह

है। सरकार का क्या पक्ष है और क्या सरकार ने ऐफिडैविट फाईल किया कि बंदर लोगों की लाईफ और रोजी-रोटी के लिए ख़तरा बने हुए हैं, इसलिए स्टे को हटाया जाए और किलिंग अलाउ की जाए?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो ऑल इंडिया एक्ट है, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। हाई कोर्ट ने इसे अब स्टे किया हुआ है। I agree with that. मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इसमें एक तरीका है कि लांग टर्म बेसिज के ऊपर हम अपने जंगलों में ऐसे वृक्ष उगाएं, ऐसी बैरीज उगाएं जिनसे पशु-पक्षियों को अपने हैबिटैट के अंदर ही आहार मिले। अभी उनको अपनी खुराक अपने हैबिटैट के अंदर नहीं मिल रही है, इसलिए स्वाभाविक है कि वह गांवों और शहरों की ओर जाएंगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। (Interruption) When I am speaking, don't disturb. You can say afterwards. Let me finish. दूसरी बात मैंने यह कही कि जब इनको स्टरलाईजेशन के लिए पकड़ा जाता है तो स्टरलाईजेशन करने के बाद, जिस जगह से या जिस जंगल से उनको पकड़ा गया था वहीं वापिस छोड़ना चाहिए। अगर कोई ठेकेदार इसमें कोताही करता है तो उसके ख़िलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं so far the law is concerned there is no legal ban on it, but I am told the Hon'ble High Court of Himachal Pradesh has not declared the law as ultra-vires but they put a temporary stay on it. That is as the matter stands. That Act has not been amended. Only operation of that Act in Himachal is stayed. This is factual position. यह दो-तीन बातें थीं जो मैं कहना चाहता था। This is the latest position I have been given. The Hon'ble High Court has not stayed the law, but merely order authorizing DFOs to allow killing of monkeys has been stayed. उन्होंने कानून को स्टे नहीं किया है लेकिन उन्होंने बंदरों को मारने की इज़ाज़त के ऊपर प्रतिबंध लगाया है। दूसरी बात यह है कि हाई कोर्ट ने बंदरों से जान, माल और फसलों के ...

जारी ...गर्ग जी

प्रश्न सं. 1639-------क्रमागत

मुख्य मंत्री----------क्रमागत

और दूसरी बात है कि हाई कोर्ट में बन्दरों से जान-माल और फसलों के नुकसान का पूर्ण ब्योरा दिया गया है और स्टे वैकेट करने हेतु सरकार ने वहां याचिका की है। Over the past few months we are regularly pursuing with the Central Government to permit export of monkeys and to declare them as vermin. This is the factual position. इसमें एक बात और सुनिए। In continuation of what I said earlier, significantly culling is the most effective method to control monkey population, but it is difficult in our society for legal and other reasons. Sterilization is the second best solution. Out State is seeking advice from other experts how to meet this challenge.

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और सबसे ज्यादा बंदरों का आतंक शिमला में है। जहां माननीय मुख्य मंत्री जी रहते हैं उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा बंदर होते थे जिनके वहां गुट बने हुए थे, लेकिन अब वहां मकान बन गए हैं और वे अब वहां रह नहीं सकते। इसलिए वे नीचे शहर की तरफ आते हैं। जो ओरिजल प्रश्न है उसमें नसबंदी के बारे में प्रश्न पूछा गया है जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें वर्ष 2009-10 में 5,000 उसके बाद 3,000-3,000 बंदरों की हर साल नसबंदी की गई है, लेकिन पिछले वर्ष 2014-15 में केवल मात्र 1200 बंदरों की ही नसबंदी टूटी कण्डी केन्द्र में की गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने शिमला में बंदरों की कुल संख्या की जानकारी ली है या उसके लिए कोई गणना की गई है, उसमें से आज तक कुल कितने बंदरों की नसबंदी हुई और क्या उस नसबंदी के कारण यहां बंदर कम हुए हैं जिसके कारण अब नसबंदी कम की जा रही है? इसके अतिरिक्त जो यह नसबंदी की जा रही है क्या यह वास्तव में ठीक की जा रही है या केवल मात्र दिखावे के लिए आप इसको करवा रहे हैं क्या यह वास्तव में हुई भी है? क्योंकि आजकल जो मादा बंदर हैं उनके

साथ इससे पहले के मुकाबले ज्यादा बच्चे दिखाई देते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी ने इसके बारे में कभी जानकारी ली है?

20/03/2015/1155/RG/AG/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने बंदरों के ऊपर कोई फैमिली प्लानिंग नहीं लगाई है, मगर जहां तक बंदरों का सवाल है वे भी भगवान की रचना है, जैसे आप हैं, हम हैं या दूसरे जीव-जन्तु या पक्षी हैं, हम सबने इसी प्रदेश में रहना है and we have to co-exist and also put certain restraints अगर वे हमको कोई नुकसान पहुंचाते हैं। देखिए, man is not the only inhabitant on this planet. हमारे जीवन-जन्तु या पक्षी हैं वे भी इनके ही हैं। हम तो अपने लिए पार्लियामेंट या असैम्बली में बोल सकते हैं, मगर इनके लिए कौन बोलेगा? इन पशु एवं पक्षियों की रक्षा करना, उनकी बेहतरी के बारे में सोचना, उनको नियंत्रित करना ही इसी सदन का और पार्लियामेंट का काम है। We have to co-exist with everybody. यह कहना कि इनकी नस्ल को खत्म कर दो, वह नहीं हो सकता। उनको नियंत्रण करने की बात है। जहां तक नसबंदी की बात है, हमारे भारद्वाज साहब ने कहा है कि नसबंदी सिर्फ एक या दो हजार की हुई है, लेकिन इसमें बताया गया है कि 94,000 बंदरों का स्टरलाइजेशन हो चुका है। इसका अभी थोड़ा असर हुआ है। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम आगे बढ़ेगा---
------जारी

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

20/03/2015/1200/MS/JT/1

प्रश्न संख्याः 1639 क्रमागत---मुख्य मंत्री जारी------
अभी इसका थोड़ा असर हुआ है लेकिन जैसे ही यह प्रोग्राम आगे बढ़ेगा, असर दिखेगा। अभी तक हमने जितने भी नसबन्दी केन्द्र खोले हैं उससे ज्यादा केन्द्र हमें और खोलने पड़ेंगे और इसका असर भी हम लोगों को नजर आने लगेगा। This is the human part of it. बाकी जहां तक बन्दरों को एक्सपोर्ट करने की बात है। अगर एक्सपोर्ट करके हमारे यहां बंदरों की आबादी कम होती है तो हमें प्रसन्नता होगी। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार से भी हमने पत्र व्यवहार किया है।

अगर कोई बात बन जाती है तो काफी हद तक हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा।

प्रश्न समाप्त/

20/03/2015/1200/MS/JT/2

प्रश्न संख्याः 1640

अध्यक्षः माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह। अनुपसिथत।

(प्रश्नकाल समाप्त)

20/03/2015/1200/MS/JT/3

मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण

Health & Family Welfare Minister: Hon'ble Speaker, Sir, I have to make one clarification.

On 17th March, 2015 Leader of Opposition Prof. Prem Kumar Dhumal raised an issue when we were discussing about the swine flu in the State that the room adjoining to the testing lab is closed. Why that room is closed? He asked this question.

It is submitted, Sir, that the room adjoining the Swine Flu Testing Lab is permanently locked in the public interest. This room is, in fact, a part of the lab and highly infectious and dangerous material is being processed in this room using Microbiological Biosafety Cabinet Class IIA. There are chances of having cross infection not only to staff members i.e. doctors, nurses, para medical staff, class-IV, etc, but also to the patients and their attendants visiting the IGMC. The room is opened only when servicing of the biosafety cabinet is to be undertaken or machinery passed in or out.

———

20/03/2015/1200/MS/JT/4

श्री सुरेश भारद्वाज: अध्यक्ष महोदय, मैं 18 मार्च, 2015 को इस विधान सभा भवन के बाहर घटित घटना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और जो आज के समाचार पत्रों में भी आया है। हिन्दुस्तान एक डेमोक्रेटिक कन्ट्री है और उसमें कोई भी प्रदर्शन कर सकता है लेकिन हिंसा को उसमें कोई स्थान नहीं है। उसका माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के

कार्यालय में जाकरके उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को घसीट कर बाहर ले आना और साथ में लाठियों और पत्थरों से मारपीट करना, मैं समझता हूं कि यह निंदनीय है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री और मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे इस बारे में सदन में बयान दें। मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

अध्यक्षः यह विषय यहां उठ चुका है।

Chief Minister: You can't just raise an issue. आप चर्चा मांगिए, तब मैं जवाब दूंगा। आप कॉलिंग अटैंशन दीजिए, हम उत्तर देंगे।

Shri Suresh Bhardwaj: I have raised the question only with the permission of the Chair. Chair has allowed me to raise the question.

मुख्य मंत्रीः I am sure कि चैयर को यह संज्ञान नहीं हुआ कि अब आप क्या बोलने वाले हैं।

Speaker: This is not a current issue. I thought you are speaking something else.

मुख्य मंत्रीः आप चर्चा मांगिए, मैं जवाब दूंगा। We have got very good reply for it.

20/03/2015/1200/MS/JT/5

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि माननीय मुख्य मंत्री को ऑब्जैक्शन है कि पहले नोटिस दो और फिर जवाब देंगे। हम आज सप्ताह के आखिरी दिन में यह मामला इनके संज्ञान में लाए हैं। लेकिन पेपर में जो आज रिपोर्ट आई है और जिस कार्यालय पर हमला हुआ है, वह तो आपके समर्थन में राष्ट्रपति भवन तक जाने के लिए साथ चले हुए थे। हम इस पहलू का मामला उठा रहे हैं कि जो उनका प्रदेश का कार्यालय है, वहां पर उनके एस0एफ0आई0 के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए थे तथा दूसरे पदाधिकारी भी थे। उनको रात को पकड़कर लेकर गए। तो

इस मामले की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? आप जब उचित समझें तो बात सुनकर इसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन किसी भी राजनीतिक दल के कार्यालय पर, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी का हो, कम्युनिस्ट्स पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, इस तरह का आक्रमण नहीं होना चाहिए। तथ्य तो आपके पास होंगे। तथ्य जब आप बताएंगे तो सब लोगों के सामने आ जाएंगे।

अध्यक्षः इसका समाधान तो आपने स्वयं ही कह दिया।

मुख्य मंत्री श्री जे0के0 द्वारा------

20.03.2015/1205/जेके/जेटी/1

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो मेरे पास जानकारी है, वह मैं आपको बता रहा हूं कि कल सुबह सदन की कार्यवाही से पहले समय ले करके एस.एफ.आई. का डैलिगेशन मुझसे मेरे कार्यालय, विधान सभा में मिला। उन्होंने कुछ मांगे रखी, चर्चा हुई। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुई और वे वहां से चले गए। वे जब आए थे उन सबकी पीठ पर पिट्ठू थे और झण्डे थे। विधान सभा में मेरे दफ्तर में आने से पहले उनके पिट्ठू भी उतार दिए थे और उनसे झण्डे भी ले लिऐ थे। जैसे ही वे वापिस गए उन्होंने वापिस पिट्ठू लगाए और झण्डे लिए और बाद में मालूम हुआ कि पिट्ठू के अन्दर पत्थर भरे हुए थे और जिस जगह से मैं मालरोड़ से एंट्री करता हूं, जहां सारी गाड़ियां पार्क थी, वहां पर उन्होंने पत्थर फैंकने शुरू कर दिए । उनकी पुलिस के साथ झड़प हुई और वे वहां से भागे तथा सी.पी.एम. का जो दफ्तर है जो कि रेलवे बोर्ड के सामने ही है, वे वहां चले गए और जो तीन लोग पत्थर फैंक रहे थे, they entered the office. The police entered the office and arrested the three persons. That's all. Nothing more. We have very cordial relations with the CPM. It is a sister party. But anybody who commits crime, वह अपना हो चाहे पराया हो, उस पर कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जाती है।

समाप्त।

20.03.2015/1205/जेके/जेटी/2

कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्षः अब कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास निदेशालय, विधि अधिकारी, वर्ग-II(राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2014 जोकि अधिसूचना संख्याःएस जे इ-ए-ए(3)-4/2011 दिनांक 16.10.2014 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.10.2014 को प्रकाशित की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

20.03.2015/1205/जेके/जेटी/3

सदन की समिति के प्रतिवेदन

अध्यक्षः अब श्री रविन्द्र सिंह, सभापति, लोक लेखा समिति (वर्ष 2014-15), समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोक लेखा समिति, (वर्ष 2014-15), समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का **93वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के **286वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **80वें मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना **335वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (नवम् विधान

सभा) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जोकि **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग** से सम्बन्धित है।

20.03.2015/1205/जेके/जेटी/4

<u>नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव</u>

अध्यक्षः अब नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा गया है। श्री सुरेश भारद्वाज, माननीय सदस्य अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तथा माननीय मुख्य मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री सुरेश भारद्वाजः माननीय अध्यक्ष महोदय, शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और सर्कुलर रोड़ इसका मुख्य रास्ता है। हाई कोर्ट के नज़दीक, होटल होली-डे होम के नज़दीक और सबसे बड़ा यहां पर इस माननीय सदन में बैठने वाले हमारे माननीय सदस्य जो कि मैट्रोपोल विधायक सदन में रहते हैं, उसके नीचे दूसरी बार सड़क टूट गई है। धर्मशाला में जब इस माननीय सदन की बैठक हो रही थी उस समय भी यह सड़क टूट गई थी। इसका डंगा टूट गया था। वहां पर भी नियम-62 के अन्तर्गत यह मुद्दा उठाया गया था। उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि इस सड़क को एक महीने के अन्दर-अन्दर बना दिया जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस आश्वासन को पूरा भी किया और रास्ता बन गया। लेकिन वहां पर टेम्परेरी डंगा लगाया गया और जब दो-तीन दिन लगातार बारिश होती रही तो उसके कारण वह डंगा फिर से गिर गया जिसके कारण आज शहर की आम जनता को खास करके छात्र-छात्राओं को और कर्मचारियों को बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि किसी एक स्थान को जाने के लिए उस रास्ते से जा नहीं सकते, लम्बे रास्ते से आई.एस.बी.टी. होते हुए बाईपास से छोटा शिमला, खलिनी या दूसरे स्थानों की ओर जाना पड़ता है।

श्री एस.एस. द्वारा जारी---

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

जो बसों में किराया लगता था वह दुगुने से भी ज्यादा लग रहा है। उसमें भी कोई राहत नहीं है और समय भी ज्यादा लग रहा है। 16 दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक डंगे को बनाने के लिए उस पर केवल बैठकें हो रही हैं कि किस प्रकार से बनाया जायेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सचिवालय और हाईकोर्ट जाने वाले सभी लोगों को मुश्किल हो रही है। इसमें बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से यह सड़क उस स्थान से गिर जाती है। मेट्रोपोल होटल में विधायक सदन जहां पर है उसमें किसी प्रकार की ड्रेनेज़ की व्यवस्था नहीं है। सारे-का-सारा पानी जो ऊपर से आता है वह सड़क के डंगे में रिस जाता है। इसके अलावा बाकी होटल इत्यादि जो वहां पर बने हैं उनका भी सारा पानी डंगे की ओर आ जाता है। पिछली बार डंगा बड़ा टैम्पोरेरी लगाया गया था। पत्थर वहां पर खड़े कर दिए। वहां पर हैवी ट्रेफिक चलता है जिसकी वजह से डंगा टिक नहीं सकता है और सारी जनता उससे परेशान हो रही है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि उस डंगे को बनाने के लिए पी0डब्ल्यू0डी0 वालों को निर्देश दें। उसमें तुरन्त पैसे का प्रावधान करें। आजकल नई टैक्नॉलोजी है। आर0सी0सी0 के डंगे व दीवारें लगती हैं। अगर उस तरह की दीवार लगेगी तब वह बच सकेगा। अगर पुरानी ही पद्धति पर डंगा चलता रहा तो अगर वह दोबारा भी लगेगा तो वह गिर जायेगा। उससे ज्यादा भी गिर सकता है। इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी, जिनके पास लोक निर्माण विभाग भी है इसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे बड़ा निवेदन साथ में यह भी है कि अगर उसमें कोई और व्यवस्था जल्दी नहीं होती है तो कम-से-कम जो लोग बसों में ट्रैवल करते हैं उनको बस के किराये में ही कोई राहत मिले। जहां का किराया 5 रुपये था, आज उस स्थान का 25 रुपये किराया देना पड़ रहा है तो कम-से-कम इस विषय में अवश्य ध्यान दें। माननीय मुख्य मंत्री जी के तुरन्त निर्देश जायेंगे तो मैं समझता हूं कि डंगे को भी बनने में बहुत ज्यादा देर नहीं होगी। इस दृष्टि से मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिमला शहर में मेट्रोपोल विधायक सदन के निकट कार्ट रोड पर सड़क टूटने से उत्पन्न स्थिति की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

20.03.2015/1210/SS-AG/2

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी इसका उत्तर देंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक द्वारा उठाये गये मामले की वस्तुस्थिति इस प्रकार हैः-

मेट्रोपोल विधायक सदन के निकट कार्ट रोड सड़क पर दिनांक 8.12.2014 को सड़क धंस जाने के कारण यातायात अवरूद्ध हुआ था। जिसे उस दिन एक तरफा (Single Lane) यातायात के लिए खोल दिया गया था। उसके उपरांत तीन हफ्ते के अन्तर्गत टैम्पोरेरी रिटेनिंग वॉल का निर्माण कार्य कर दिया गया था और दो तरफा यातायात के लिए बहाल किया गया था। इस सड़क के धंसने का मुख्य कारण सड़क के नीचे नगर निगम, शिमला द्वारा पहाड़ी को काटकर कार पार्किंग स्थल बनाया जाना है। इस स्थान पर परमानेंट सॉल्यूशन पक्की सतह (Firm footing) से रिटेनिंग वॉल का निर्माण करके ही किया जाना है जोकि सर्दियों में बर्फ व बारिश के कारण करना सम्भव नहीं था। अतः इस कार्य को करने के लिए अनुकूल मौसम तक इन्तजार करने का फैसला किया गया।

परन्तु दिनांक 02.03.2015 को भारी हिमपात व वर्षा के कारण ठेकेदार द्वारा बनाई रिटेनिंग वॉल दो फुट धंस गई। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इस सड़क पर यातायात एक तरफा कर दिया गया है। इस विषय पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया तथा नगर निगम, शिमला व पार्किंग स्थल के ठेकेदार के साथ चर्चा के उपरान्त इस रिटेनिंग वॉल को पक्के स्थान से चरणबद्ध तरीके से लगाने का सुझाव दिया गया है। इस सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता, शिमला क्षेत्र व आयुक्त नगर निगम, शिमला ने दिनांक 05.03.2015 को पुनः संयुक्त निरीक्षण किया तथा सड़क को रिस्टोर करने के लिए चरणबद्ध रूप से

कार्य करने के ठेकेदार को निर्देश दिए गए तथा ठेकेदार द्वारा रेस्टोरेशन हेतु कार्य कर दिया गया।

जारी श्रीमती के0एस0

20.03.2015/1215/केएस/एजी/1

मुख्य मंत्री जारी----
परन्तु ठेकेदार द्वारा प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग से कार्य को पुनः निरीक्षण करने का अनुरोध किया और तदानुसार प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग एवं अन्य अधिकारियों द्वारा 18.03.2015 को सड़क का पुनः निरीक्षण किया गया और मौके पर पाया गया कि उस स्थल पर लगातार पानी का रिसाव हो रहा है जिसके कारण रीटेनिंग वॉल को भी नुकसान हो रहा है और जिस स्थल से रीटेनिंग वॉल बनाने का कार्य किया जाना है उस स्थान पर Slide हुई Debris का over burden है जिससे नीचे कार्य कर रहे मज़दूरों को खतरा हो सकता है इसलिए इसका हटाया जाना बेहद जरूरी है। जैसे ही over burden हटाने का कार्य आरम्भ किया जाएगा उस समय ऊपर चल रही सड़क को नुकसान होने का अंदेशा हे जिससे सड़क पर चल रहे वाहनों को खतरा हो सकता है।

इसलिए उपरोक्त सुरक्षा हेतु सड़क पर 20-25 दिन के लिए यातायात बन्द करना अनिवार्य है ताकि इस बीच में सड़क पर bailey bridge का निर्माण कार्य किया जा सके जिससे वाहनों का यातायात भी आरम्भ हो जाएगा तथा रीटेनिंग वॉल का कार्य भी युद्धस्तर पर किया जा सकेगा तथा शीघ्रातिशीघ्र सड़क पर सामान्य यातायात बहाल किया जा सकेगा।

अध्यक्षः सुरेश भारद्वाज जी, क्या आप कोई और स्पष्टीकरण चाहते हैं?
श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसमें विस्तृत स्टेटमैंट दी है। मैं सिर्फ एक निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे मैंने

20.03.2015/1215/केएस/एजी/2

पहले भी कहा था कि जो कर्मचारी और छात्र इत्यादि उस रास्ते से आते-जाते थे, आजकल उनको बहुत लम्बा रास्ता तय करना पड़ रहा है और पांच-छः गुणा ज्यादा किराया देना पड़ रहा है। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी उनको किराये में राहत देंगें ताकि यहां पर डंगा भी बन जाए और उनको भी उतने दिन के लिए किराये में राहत मिल जाए? आपकी कुछ बसें प्रमुख स्थानों को फिक्स किराये पर, कम किराये पर चलती हैं, उस तरह की व्यवस्था या जो आपकी लोकल बसिज़ हैं, उनमें कम किराया लेने के लिए क्या आप कोई आश्वासन देंगें और इस प्रकार का कोई निर्णय करेंगें?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, किराया कम करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है और इससे उसका कोई ताल्लुक भी नहीं है। जहां तक सड़क अवरूद्ध हुई है, वहां तक बसें आएंगी और जहां आगे रास्ता ठीक है, वहां तक भी बसें आएंगी तो बीच में छोटा सा पोर्शन है जिसमें बसें नहीं आ सकती और पैदल चलने का रास्ता होगा। जो सवारियां पीछे उतरेंगी वे थोड़ा सा आगे चलकर, जहां पर सड़क ठीक है, वहां तक पैदल जा सकते हैं और वहां पर बसों का इंतज़ाम किया जा सकता है ताकि आगे जाने वाली बसें वहां पर खड़ी रहे, इसका प्रबन्ध किया जाएगा।

20.03.2015/1215/केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब इस माननीय सदन की बैठक सोमवार, 23 मार्च, 2015 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांकः 20 मार्च, 2015 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
शिमला-171004 **सचिव।**